कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री देव कृष्ण जोशी पिता श्री जगन्नाथ जोशी नि0 जोशीयों की मादड़ी, पो. बागोल, तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 84/2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 13.01.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम ऑनलाईन अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा से जरिये पृष्ठांकित पत्र क्रमांकः— सू.अ./2024/17—18 दिनांक 07.01.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 01 ग्राम जोशीयो की मादड़ी के खसरा नं. 442, 443 रकबा 0.0632 है, किस्म आबादी, वर्तमान में श्रीमति मनोरमा देवी पत्नि श्री इन्द्रधनुष हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहम्ण, सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रेकार्ड है। पूर्व में उक्त खसरा नं. 42 एवं 443 श्री कना, केसा, पेमा पिता प्रथा, गोपीलाल, विठ्ल, मोहन पिता खेमा, श्री रूपा, वाला, नारू पिता हीरा भील सा.देह के नाम दर्ज थी। बिन्दु संख्या 02 कि सूचना पटवार मण्डल या तहसील कार्यालय के किसी प्रपत्र/रजिस्टर में संधारित नहीं कि जाती है, बिन्दु संख्या 03 खातेदारी भूमि को परिवर्तन करने की नियमावली राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है। सूचना इस कार्यालय से संबंधित नही है तथा बिन्दु संख्या 04 की सूचना पटवार मण्डल या तहसील कार्यालय से सम्बन्धित नही है। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा कि रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा उनके उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार जरिये पत्र क्रमांक सू.अ./2024/17—18 दिनांक 07.01.2025 से अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी, तहसील नाथद्वारा को भिजवायी जावे। **पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।** लोक सूचना अपीलीय अधिकारी (जिला कलक्टर) राजसमंद	